सूचना का
अधिकार

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
--00--

क्रमांक एफ 2–7/2006/1–13 **नवा रायपुर, दिनांक 09 जुलाई, 2024**

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी प्रदाय करने के संबंधी ।
संदर्भ :– इस विभाग का परिपत्र क्र. एफ 2–7/2006/1/6, दिनांक 29.03.2006 एवं 30.06.2021

उपर्युक्त विषयांतर्गत संदर्भित परिपत्र दिनांक 29.03.2006 में "विभागीय पदोन्नति समिति (डी.पी.सी.) के कार्यवाही विवरण को गोपनीय मानते हुए, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–8(1) के तहत जानकारी प्रदाय करने से वर्जित किया गया था ।

2/ छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के अपील प्रकरण क्रमांक ए/1624/2014 में माननीय मुख्य सूचना आयुक्त महोदय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.06.2014 के अनुपालन में उपरोक्त संदर्भित परिपत्र क्रमांक एफ 2–7/2006/1/6, दिनांक 29 मार्च, 2006 को निरस्त करते हुए निम्नानुसार संशोधित किया गया था :–

"विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन प्रस्तुत करने पर प्रदाय किया जा सकता है, किन्तु उसके साथ संलग्न गोपनीय प्रतिवेदन की ग्रेडिंग, आवेदक से ही संबंधित हो तो प्रदाय किया जा सकता है।"

3/ माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा आयोग का आदेश दिनांक 26.06.2014 के परिप्रेक्ष्य में रिट याचिका क्रमांक 1495/2014 में पारित आदेश दिनांक 19.09.2018 का पैरा 05 एवं 06 अवलोकनीय है :–

5. The Supreme Court eventually concluded that information relating to a third party cannot be provided as it would amount to invasion of the privacy of the individual. Similarly, if copy of the DPC proceedings are supplied it will invade the privacy of persons whose ACRs would be disclosed to the information seeker, therefore, the procedure outlined under section 11(1) of the RTI Act is to be followed, as the same cannot be dispensed with. If the said parties, whose ACRs have been considered by the DPC, agree and accord consent for supplying the information, the information may be supplied, but if even one of the candidate fallen within the zone of consideration refuses to accord consent, entire DPC proceedings cannot be supplied unless the Commission, for good reasons, overrules the objection.

6. In view of foregoing, the impugned orders passed by the Commission in both the writ petitions are set aside and both the matters are remitted back to the Commission to follow the mandatory provision outlined under section 11(1) of the RTI Act and thereafter, pass the final order after seeking consent of all the parties whose ACRs are contained in the DPC proceedings.

क्रमशः............2..........पर

4/ माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा आयोग का आदेश दिनांक 26.06.2014 उपरोक्त निर्णय दिनांक 19.09.2018 से निरस्त किये जाने से विभाग द्वारा जारी परिपत्र पत्र क्रमाक एफ 2–7/2006/1–13 दिनांक 30 जून 2021 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है –

"सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ऐसे आवेदन जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की गई कार्यवाही विवरण की मांग की हो, पर सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 11(1) का पालन करते हुए समस्त पक्षकारों, जिनके प्रकरणों पर विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा विचार किया गया हो, की सहमति/असहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण प्रदाय किया जा सकता है परन्तु यदि विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष विचाराधीन किसी एक भी पक्षकार द्वारा अपनी असहमति दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण विभागीय पदोन्नति की कार्यवाही तब तक प्रदाय नहीं की जायेगी जब तक आयोग द्वारा उचित कारणों का लेख करते हुए आपत्ति को निरस्त नहीं कर दिया जाता है।"

5/ कृपया अपने अधीनस्थ समस्त जनसूचना अधिकारी को उक्त संशोधन से अवगत कराते हुए आवेदनों का निराकरण करने हेतु निर्देशित करें ।

08/07/24.

(अन्बलगन पी)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्र. एफ 2–7/2006/1–13

नवा रायपुर, दिनांक 09 जुलाई, 2024

प्रतिलिपि :–

1. माननीय राज्यपाल के सचिव, राजभवन रायपुर ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर ।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर ।
4. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर ।
5. रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर ।
6. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली ।
7. सचिव, राजस्व मण्डल, बिलासपुर ।
8. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, अटल नगर, नवा रायपुर
9. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर ।
10. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट URL –https://www.gad.cg.gov.in/RTI.aspx में अपलोड करने बाबत्।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग